1662/14-08-2021

दिनांक— 04.06.2021 को **Zoom** के माध्यम से हुई विशेष सर्वेक्षण की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थितिः— Zoom App पर उपस्थिति के अनुसार।

1. **नवनियोजित अमीनों का परीक्षा परिणामः**— प्रतिवेदित किया गया कि नवनियोजित अमीनों के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण उपरान्त ली गई ऑनलाईन एवं ऑफलाईन परीक्षा में अनेक प्रशिक्षणार्थियों के प्राप्तांक शून्य अथवा 10 प्रतिशत से कम है। साथ ही कुछ प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये गये है। कुछ प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तकनीकी त्रुटियों के कारण ऑनलाईन उत्तरपुस्तिका समर्पित नहीं किया जा सका।

   बैठक में विमर्शोंपरांत तय किया गया किः—

   (क) जो अभ्यर्थी शून्य प्राप्तांक लाये है, उनके विरूद्ध नियोजन सेवा शर्त्तों एवं एकरारनामा के आलोक में स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

   (ख) 10 अंक से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को स्पष्टीकरण कर नियोजन सेवा शर्त्तों एवं एकरारनामा के आलोक में प्रावधान अनुसार समुचित कार्रवाई की जाय।

   (ग) ऑनलाईन परीक्षा में तकनीकी कारण से प्रभावित अभ्यर्थियों की पुनः जाँच परीक्षा आयोजित किया जाय।

   (घ) अनुपस्थित अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियोजन सेवा शर्त्तों एवं एकरारनामा के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही यदि स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य हो तो पुनः जाँच परीक्षा आयोजित की जाय।

2. **Spatial Mutation:**— इस संबंध में बताया गया कि प्रशाखा स्तर पर संचिका लंबित है। निदेश दिया गया कि उत्तरदायी पदाधिकारी संबंधित प्रशाखा के विभागीय पदाधिकारियों से संपर्क कर संचिका में प्रस्ताव के अनुरूप कार्य सुनिश्चित कराने हेतु यथोचित कार्रवाई करेंगे। तय किया गया कि आज ही अपराह्न में प्रशाखा के पदाधिकारियों से संपर्क करना सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकतानुसार उच्चाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। साथ ही कार्य को अंतिम परिणति तक पहुँचाना सभी का सम्मिलित दायित्त्व है, अतः संचिका उपस्थापन पश्चात् अपने दायित्त्व से मुक्ति ना समझा जाय।

3. **RSTI, Gaya के संबंध में** :— प्रतिवेदित किया गया कि RSTI, गया में अराजपत्रित कर्मियों की पदस्थापन की कार्रवाई निदेशालय स्तर पर की जायेगी और राजपत्रित पदाधिकारियों के पदस्थापन के लिए विभागीय स्तर से कार्रवाई किया जाना है। तय किया गया कि निदेशालय स्तर से अविलंब कार्रवाई की जाय। साथ ही विभाग से समन्वय स्थापित कर राजपत्रित पदाधिकारियों के पदस्थापन की कार्रवाई हेतु यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

   विमर्शोपरान्त तय किया गया कि RSTI, गया के प्रस्ताव एवं संलग्न बैठक की कार्यवाही के आधार पर विभिन्न बिन्दुओं को चिन्हित कर प्रत्येक बिन्दु/कार्य को ससमय संपन्न होने हेतु यथोचित कार्रवाई की जाय। प्रतिवेदित किया गया कि इस मामले में निम्न बिन्दुओं पर कार्रवाई किया जाना है:—

   (क) बोधगया के पुराने भवनों का जीर्णोद्धार एवं नये भवनों एवं छात्रावास आदि को कार्यकारी बनाया जाना एवं इस हेतु कार्यपालक अभियंता, बोधगया से समन्वय स्थापित करना।

(ख) अंतरिम व्यवस्था के तहत् पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं कर्मियों का तत्
पदस्थापन।

(ग) खान–पान एवं रख–रखाव (साफ–सफाई सहित) का प्रबंधन।

(घ) प्रशिक्षणार्थियों का आकलन एवं चयन।

(ड) नये एवं पुराने भवनों में उपस्कर, तकनीकी सामग्रियों आदि की व्यवस्था।

(च) पुराने भवनों में विद्युत एवं पेयजल कार्य संपन्न करना।

तय किया गया कि बिन्दुवार कार्यों का निष्पादन ससमय किया जाय ताकि प्रशिक्ष
कार्यक्रम अविलंब प्रारंभ किया जा सके।

4. **ETS का क्रय** :– ETS क्रय के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित पदाधिकारि से अविलंब संपर्क स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

5. **हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 के विरूद्ध कार्रवाई** :– बैठक में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों क कार्य प्रगति की समीक्षा की गई और बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा एजेंसी के विरूद्ध दिए जा वाले प्रतिवेदनों के आधार पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 के विरूद्ध वैधानिक कार्रवा करने का निर्णय विमर्शोपरांत लिया गया।

6. **MRR का MIS** :– विमर्शोपरान्त तय किया गया कि MRR के संबंध में अपर समाहर्त्ताओं स अद्यतन स्थिति प्राप्त कर अपर समाहर्त्ताओं को अर्द्धशासकीय पत्र दिया जाय एवं इस विषय स जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्तों को भी अवगत कराया जाय।

7. **हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों का MIS** :– निदेशालय स्तर पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के लिए तैयार किये गये MIS के आधार पर एजेंसियों को किये जाने वाले भुगतान को सम्बद्ध किय जाय एवं प्रतिवेदन की बिन्दुवार समीक्षा की जाय।

8. **खतियान एवं मानचित्र की अनुपलब्धता की स्थिति में विकल्पों के लिए की गई बैठक की कार्यवाही**:– निदेशालय स्तर से इस संबंध में गठित कमिटी द्वारा दिये गये सुझावों के संबंध में तय किया गया कि दिनांक–08.06.2021 को विभागीय एवं राजस्व विभाग से संबंधित सभी निदेशालयों के पदाधिकारियों को जूम के माध्यम से बैठक हेतु अनुरोध किया जाय। उक्त बैठक में जो सुझाव प्राप्त होते है उसे भी संकलित कर लिया जाय।

9. **फील्ड बुझारत अभिलेख** :– इस विषय पर जिलों से संपर्क स्थापित कर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में प्रयास किया जाय। इस हेतु सभी समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ताओं से जिला फील्ड बुझारत से संबंधित अभिलेखों के स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाय।

10. **मानचित्रों के Door Step Delivery** :– प्रतिवेदित किया गया कि कंटेनर का क्रय कर लिया गया हैं। HDFC बैंक द्वारा Security Audit किया जा रहा है। Security Audit पश्चात् एकरारनामा किया जाएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट के स्तर से कार्रवाई हेतु उप निदेशक द्वारा डाक विभाग से वार्त्ता की गई है।

तय किया गया कि अन्य राज्यों के द्वारा रैयतों को भुगतान के आधार पर ऑनलाईन मानचित्र डॉउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। अतः बिहार राज्य में भी भुगतान के आधार पर रैयतों को डिजिटल हस्ताक्षरित मानचित्र A0 साईज में डॉउनलोड करने की सुविधा प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ की जाय एवं आवश्यकतानुसार एन0आई0सी0 से इस संबंध में विमर्श कर लिया जाय।

11. **GIS Expert Agency** :– बैठक में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर खेद व्यक्त किया गया। जी0आई0एस0 सलाहकार को निदेशित किया गया कि इस संबंध में एजेंसी द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं डाटा के सत्यापन हेतु Expert GIS Agency की Consultancy हेतु EOI/RFP का प्रारूप तैयार कर उपस्थापित किया जाए।

12. **विशेष सर्वेक्षण कार्यों का समीक्षा** :– निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा के लिए आगामी सप्ताह में निदेशालय स्तर से नोडल पदाधिकारी को सुपौल भेजा जाय। साथ ही अन्य जिलों में चल रहे सर्वेक्षण कार्यों के गुणवत्ता की समीक्षा निदेशालय स्तर पर लगातार की जाय। निदेशित किया गया कि इस संबंध में निदेशालय स्तरीय नोडल पदाधिकारी अपने संबंद्ध जिलों की लगातार समीक्षा की जाए।

(जय सिंह) 11/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84 / 2019......1662...... **पटना, दिनांक** :– 14-06-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84 / 2019......1662...... **पटना, दिनांक** :– 14-06-2021

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:17–वि0सर्वे0(कार्यवाही)–84 / 2019......1662...... **पटना, दिनांक** :– 14-06-2021

प्रतिलिपिः– प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / जी0आई0एस0 सलाहकार भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 11/6/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप